पंचायत/नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023

दिनांक 30.10.2023 को सचिव, राज्य निर्वाचन ायोग, बिहार की अध्यक्षता में जिला जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) तथा जिला के तकनीकी पदाधिकारी एवं कर्मी के साथ विडियो कॉन्फ्रेान्सिंग के माध्यम से पंचायत एवं नगरपालिका उप निर्वाचन की तैयारी के संबंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही।

कार्यवाही

उपस्थिति – सभी जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) तथा आयोग के पदाधिकारीगण उपस्थित।

1. सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों का विडियो कॉन्फ्रेान्सिंग में उपस्थित होने हेतु स्वागत किया गया। साथ ही बताया गया कि पंचायत एवं नगरपालिका उप निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची तैयारी के संबंध में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई है।

   तत्पश्चात श्री दिनेश कुमार, संयुक्त सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बताया गया कि पंचायत उप निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची तैयारी करने हेतु पत्रांक 3654 दिनांक 18.10.2023 तथा नगरपालिका उप निर्वाचन के मतदाता सूची तैयारी हेतु पत्रांक 3653 दिनांक 18.10.2023 प्रेषित किये गये हैं। महत्वपूर्ण विन्दुओं पर पुनः ध्यान आकृष्ट कराया गया।
2. महत्वपूर्ण बिन्दु –

पंचायत के रिक्ति की श्रेणी	किये जाने वाले कार्य
(क) विगत उप निर्वाचन में नामांकन नहीं होने के फलस्वरूप रिक्त रह गये पद	विगत उप निर्वाचन हेतु दिनांक 1.1.2023 के आधार पर दिनांक 24.04.2023 को मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन किया गया था। इन निर्वाचन क्षेत्रों से यदि कोई आवेदन प्राप्त होता है तो नियमानुसार आवश्यक जाँच कराकर आयोग के पत्रांक 1192 दिनांक 03.03.2021 से दिये गये निदेश के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।
(ख) मृत्यु, त्यागपत्र, आयोग द्वारा निरर्हरित किये जाने के फलस्वरूप वैसे रिक्त पद जिसके लिए दिनांक 22.08.2023 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया था जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया।	ऐसे रिक्त पदों से संबंधित पूर्व में दिनांक 01.01.2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 22.08.2023 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया था जिसे बाद में रोक दिया गया था के मामले में आयोग के पत्रांक 3654 दिनांक 18.10.2023 की कंडिका -3(ख)(i) में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुनः प्रारूप प्रकाशन कर आगे की कार्रवाई की जायेगी।

	परन्तु पूर्व में प्रारूप प्रकाशन के क्रम में यदि कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त हुये हैं, उनका भी निष्पादन निश्चित रूप से किया जायेगा।
(ग) दिनांक 22.08.2023 के बाद जो पद रिक्त हुये हैं	आयोग के पत्रांक 3654 दिनांक 18.10.2023 में यद्यपि दिनांक 25.10.2023 तक के रिक्ति के संबंध में निर्देश दिये गये हैं, परन्तु पत्र की कंडिका -3(ख)(ii) में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप प्रकाशन के पूर्व तक यदि कोई रिक्ति संज्ञान में आतो है तो उसे सम्मिलित कर लिया जाय एवं तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाय एवं इसकी सूचना तुरत आयोग को अवगत कराया जाय। परन्तु प्रारूप प्रकाशन के बाद कोई भी रिक्त पद हेतु मतदाता सूची तैयार नहीं किया जा सकेगा।

3. नगरपालिका से संबंधित मतदाता सूची तैयार करने में भी यदि कोई रिक्ति प्रारूप प्रकाशन होने के पूर्व संज्ञान में आता है तो उसे सम्मिलित कर ली जाय एवं आयोग को तुरत अवगत कराना सुनिश्चित की जाय।

4. तकनीकी जानकारी हेतु पी.पी.टी. का प्रदर्शन भी किया गया एवं इसे सभी को शेयर करने का निदेश कार्यालय को दिया गया।

5. अन्त में सचिव महोदय द्वारा मतदाता सूची की तैयारी के क्रम में लगातार अनुश्रवण करने हेतु वरीय पदाधिकारी को निदेशित किया गया एवं बताया गया कि छोटी-छोटी गलतियों के कारण बाद में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उक्त सन्दर्भ में निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया गया –
(क) प्रपत्र-क के अनुसार प्ररूप प्रकाशन का मिलान एवं उसी के अनुरूप अन्तिम प्रकाशन;
(ख) विखंडीकरण के दौरान सही मतदाताओं को उनके वार्ड में ही रखा जाना;
(ग) विशिष्ट व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है उसका प्रमाण-पत्र सुनिश्चित करना;
(घ) प्राप्त दावा/आपत्तियों का ससमय निष्पादन करना;
(ङ) दावा/आपत्ति के निष्पादन के दौरान संबंधित को नोटिश निर्गत कर तामिला कराकर अभिलेखबद्ध करना।

विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सधन्यवाद समाप्त किया गया।

02/11/2023
(दिनेश कुमार)
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –न.नि. 50-05/2022 – 3724 पटना, दिनांक - 2.11.23

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेवबसाईट पर कार्यवाही अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

02.11.23
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

VC_2021/158

ज्ञापांक –न.नि. 50-05/2022 – 3724 पटना, दिनांक - 2.11.23

प्रतिलिपि सभी जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

02/11/23
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –न.नि. 50-05/2022 – 3724 पटना, दिनांक - 2.11.23

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

02/11/23
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –न.नि. 50-05/2022 – 3724 पटना, दिनांक - 2.11.23

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/11/23
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –न.नि. 50-05/2022 – 3724 पटना, दिनांक - 2.11.23

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार एवं प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/11/23
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।